RBE No. 167/10

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, dated : 24.11.2010

No. E(G) 2010/LL 2/4

The General Managers
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per standard mailing list)

Sub: Enhancement of the powers of General Managers for providing legal assistance to Railway servants in cases where suits or criminal charges are brought against them, as a result of circumstances connected with their official duty. .

--**--

In terms of para 702 7(ii) of IREC Vol.I, 1985 edition, where suits or criminal charges are brought against railway servants, arising out of circumstances connected with their duty, the General Manager of a railway is empowered to undertake their defence by employing such legal assistance as may be considered necessary. Should, however, law charges in any particular case be estimated to exceed ₹ 10,000/-, the prior sanction of the President shall be obtained to the expenditure being incurred. Any costs awarded by the court to the railway cannot be set off against the expenditure for the purpose of this limit.

The above provision has been reviewed by the Board, and it has been decided to enhance the powers of the General Manager for providing legal assistance in such cases from the present limit of ₹ 10,000/- to ₹ 50,000/-.

Accordingly, the provision contained in para 702 7(ii) of IREC Vol. I, 1985 edition stand amended as per the enclosed Advance Correction Slip No.114.

Please acknowledge receipt.

(Madan Lal)
Jt. Director, Estt. (Genl.)
Railway Board

New Delhi, dated 24.11.2010

No. E(G) 2010/LL 2/4

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways),Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

for FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

Indian Railway Establishment Code Vol. I (1985 edition)

Advance Correction Slip No. 114

The amount of ₹ 10,000/- (Rupees Ten Thousand) appearing in Paragraph 702 7(ii) may be substituted by ₹ 50,000/- (Rupees Fifty Thousand)

(Authority:- Railway Board's letter No. E(G)2010/LL 1/4 dated 24/11/2010)

आरबीई सं...167/10

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई (जी) 2010/एलएल/2/4 **नई दिल्ली, दिनांक:24 .11.2010**

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवकों को उन मामलों में, जहां उनके विरूद्ध वाद या आपराधिक आरोप उनके पदीय कर्त्तव्यों से संबद्ध परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, के लिए विधिक सहायता मुहैया कराने हेतु महाप्रबंधकों की शक्तियों को बढ़ाना.

--**--

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I, 1985 संस्करण के पैरा 702 7 (ii) के संदर्भ में, जहां रेल सेवकों के विरुद्ध वाद या आपराधिक आरोप उनके कर्त्तव्यों से संबद्ध परिस्थितियों से उत्पन्न हुए हैं, वहां रेल महाप्रबंधक यथावश्यक विधिक सहायता नियोजित करके उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए सशक्त है, किंतु यदि किसी विशेष मामले में विधिक प्रभार 10,000 रु. से अधिक होने की संभावना है तो ऐसा खर्च करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होगी. न्यायालय द्वारा रेल को अधिनिर्णीत खर्च इस सीमा के प्रयोजन के लिए, खर्च में मुजरा नहीं किया जा सकता.

उपर्युक्त उपबंध की बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई है और ऐसे मामलों में विधिक सहायता मुहैया कराए जाने के लिए महाप्रबंधकों की शक्तियों की मौजूदा सीमा को 10,000/-रु. से बढ़ाकर 50,000/- रु. किए जाने का विनिश्चय किया गया है.

तदनुसार, भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I, 1985 संस्करण के पैरा 702 7 (ii) में वर्णित उपबंध को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.114 के अनुसार संशोधित किया जाता है.

कृपया पावती दें.

(मदन लाल)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (सामान्य)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (जी) 2010/एलएल/2/4 नई दिल्ली, दिनांक:24 .11.2010

भारत के उप महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक (रेलें), कमरा नं.224, रेल भवन, नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I (1985 संस्करण)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 114

पैरा 702 7 (ii) में दी गई धनराशि 10,000/- रु. (दस हजार रुपए) को 50,000/- रु. (पचास हजार रुपए) से प्रतिस्थापित किया जाए.

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 25.11.2010 का पत्र सं. ई (जी) 2010/एएल/1/14.